प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.11.2025

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 23.11.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त शाकिर पुत्र इमरान, शाहरूख पुत्र रिफाकत निवासीगण ग्राम सुहाना थाना निवाडी गाजियाबाद व 02 बाल अपचारी द्वारा वादी के घेर से 02 बकरे चोरी कर ले जाना प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुंसगत धारा 305(a)/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.11.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. शाकिर 2. शाहरूख को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से 02 बुग्गा खाल छीलने वाले, 01 छुरा, 04 खाली प्लास्टिक की बोरी, 03 रस्सी के टुकडे तथा 02 बकरों की खाल/अवशेष, 02 बकरों की गले की रस्सी, 02 आधार कार्ड (बाल अपचारीगण के) तथा जामा तलाशी के 820/रु0 बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण तथा 02 बाल अपचारी ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि कुछ दिन पहले हमने मिलकर गांव के ही आदिल के 02 बकरे चोरी किये थे, उन बकरो को हमने हलाल कर आपस में बांट लिया था व हिस्से में आये बकरे के गोस्त को घर पर पकाकर खा लिया था। आज हम सभी पुनः बकरा चोरी की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

(1) अभियुक्त शाकिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष
(2) अभियुक्त शाहरुख उर्फ रिहान पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष
तथा 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिये गये।

बरामदगी का विवरण-

02 बुग्गा खाल छीलने वाले, 01 छुरा, 04 खाली प्लास्टिक की बोरी, 03 रस्सी के टुकडे तथा 02 बकरों की खाल/अवशेष, 02 बकरों की गले की रस्सी, 02 आधार कार्ड (बाल अपचारीगण के) तथा जामा तलाशी के 820/रु0 बरामद।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 22.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त विपिन द्वारा वादी के पुत्र कुनाल को फोन करके अपने दुकान पर बुलाना तथा उसकी दुकान पर पूर्व से मौजूद राहुल,अमन व एक अन्य व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट करना तथा अभियुक्त राहुल द्वारा वादी के पुत्र के पेट में गोली मार देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)/109(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वाँछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसमें दिनांक 23.11.2025 को अभियुक्त विपिन वर्मा उर्फ विशू पुत्र मनोज वर्मा निवासी ए–249 पाल विहार विकास कुंज, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 25.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र विजय निवासी विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि कुनाल मेरी बहन के बारे में गलत बात बोलता था जिसको लेकर मैने कुनाल को पहले भी समझाया था जो समझाने के बावजूद भी नही मान रहा था फिर मैने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुनाल को सबक सिखाने की बात कहीं। दिनांक 21.11.2025 को हमने कुनाल को विपिन वर्मा की दुकान पर बुलवाया और उसके साथ मारपीट की फिर मैने कुनाल के गोली मार दी और वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र विजय निवासी विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

वांछित अभियुक्त का नाम पता –

अमन प्रजापति पुत्र शीस पाल निवासी पूर्वी जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी—

1.01 नाजायज पिस्टल 32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर
2.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा मोबाइल छीनकर भागने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी व छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 19.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी किशोर गुप्ता द्वारा तहरीर दी गई कि पैट्रोल पम्प पर बिना नम्बर की स्कूटी सवार दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा गार्ड मोनू उर्फ मुन्ना के साथ गाली गलौज करना व 02 मोबाइल फोन लेकर चले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 304(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.11.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अर्जुन उर्फ रवि पुत्र स्व0 सुशील निवासी स्वामी श्रृद्धानंद कालोनी नियर भलस्वा डेयरी थाना भलस्वा डेयरी जनपद उत्तर पश्चिम दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त प्रयुक्त 01 स्कूटी व छीना हुआ मोबाइल सैमसंग कम्पनी का बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 351(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अर्जुन उर्फ रवि ने बताया कि मैं और समीर निवासी मुकुंदपुर थाना भलस्वा डेयरी दिल्ली आपस में दोस्त है। हमारे मौहल्ले के रहने वाले जीशान पुत्र नन्ने किसी काम से हमारे पास आया था। मेरे दोस्त समीर ने किसी जरूरी काम की बात बोलकर जीशान से उसकी स्कूटी मांगी तो जीशान द्वारा वह स्कूटी समीर को दे दी फिर समीर द्वारा मुझसे कहा कि चलो लोनी, गाजियाबाद की तरफ चलते हैं और रास्ते में कहीं मोबाइल छीनते है क्योंकि जेब का पैसा खत्म हो गया है। फिर मैं अपने दोस्त समीर के साथ ट्रोनिका सिटी में सहारनपुर रोड पर एक पेट्रोल पम्प पर गया जहां पर गार्ड बैठा था। हमने मौका पाकर गार्ड को गाली गलौज देते हुए डरा धमकाकर पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों से दो मोबाइल फोन छीनकर भाग गये थे। जो मोबाइल फोन मेरे पास बरामद हुआ है ये वही मोबाइल फोन है जो मैनें व समीर ने पेट्रोल पम्प से छीना था तथा दूसरा मोबाइल फोन हमने किसी राह चलते को सस्ते में बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन उर्फ रवि पुत्र स्व0 सुशील निवासी स्वामी श्रृद्धानंद कालोनी नियर भलस्वा डेयरी थाना भलस्वा डेयरी जनपद उत्तर पश्चिम दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

वांछित अभियुक्त

समीर निवासी मुकुंदपुर थाना भलस्वा डेयरी दिल्ली (फरार)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अर्जुन उर्फ रवि के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1.घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी रजि0 न0 DL14SN5513

2.छीना हुआ 01 अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 21.11.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से मारपीट कर धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 191(2)/115(2)/131/351(3)/127(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वादी के बयानो के आधार पर मुकदमे में धारा 109(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता –2023 की बढोतरी की गई तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.11.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. रोहित पुत्र योगेश निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 2. अमन पुत्र बलराज निवासी कायस्थ गावडी थाना परतापुर मेरठ उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान उपरोक्त घटना कारित करने का इकबाल करते हुये बताया कि हमने व हमारे साथियों ने आवेश में आकर कहासुनी के दौरान वादी पर हमला कर दिया था व हमारे साथियों द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गयी। हमारे साथी आर्यन कि वादी से पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. रोहित पुत्र योगेश निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष
2. अमन पुत्र बलराज निवासी कायस्थ गावडी थाना परतापुर मेरठ, उम्र करीब 21 वर्ष

वांछित अभियुक्त

1. नितिन गुन 2. आर्यन 3. प्राचार्य डी0के अग्रवाल

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 24.11.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त मनप्रीत पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम एच्छर मस्जिद वाली गली थाना बीटा 2 जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष को एच्छर गांव में जिम वाली गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मनप्रीत उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मनप्रीत उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त, गैंग लीडर और गैंग के सदस्य थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत दुकान व्यापारी से लूट करने से पहले व्यापारी के आते जाते समय रैकी की और फिर दिनांक 14.07.2025 को क्लाउड 9 ग्रोसरी की दुकान करने वाले व्यापारी से दुकान बन्द करके स्कूटी से जाते समय मोटर साइकिल के द्वारा स्कूटी गिराकर 38 लाख रुपये की लूट करने की घटना कारित की थी। अभियुक्त का थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में एक संगठित गिरोह है। जिसका गैंग लीडर सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पहलवान है। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक धन अर्जित करने के लिये चोरी/लूट व डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनप्रीत पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम एच्छर मस्जिद वाली गली थाना बीटा 2 जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मनप्रीत उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना के 03 वर्ष पूर्ण- सुरक्षा, सेवा व सुशासन के 03 साल, अपराध नियन्त्रण व जनसेवा की मिसाल।

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्व चलाई जा रही जीरो टोलेरेंस की नीति के अंतर्गत दिनांक 26.11.2022 को जनपद गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के गठन को 03 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। इस अवधि में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में जन-केंद्रित पुलिसिंग को साकार करते हुए अनेक नवाचार किए, जिनसे अपराध नियंत्रण, अपराधियों पर अंकुश तथा नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएँ उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

- कमिश्नरेट के गठन के उपरान्त पुलिस व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ हुई है। जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समस्त संसाधन एवं पुलिस बल की अपेक्षित उपस्थिति एवं उपलब्धता होने के फलस्वरूप 03 वर्षों में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है। उक्त अवधि में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्ष 2020, 2021 2022 के सापेक्ष कमिश्नरेट गठन के उपरान्त 03 वर्षों में अपराधों में निरन्तर कमी हो रही है तथा जनता के लोग जनपद के सापेक्ष कमिश्नरेट में अधिक सुरक्षित एवं सुगम महसूस कर रहे हैं।

- विगत वर्ष के सापेक्ष डकैती, लूट, स्नेचिंग, हत्या, नकबजनी, चोरी के अपराधों में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है। वर्ष-2025 में अपराधों में काफी कमी आयी है। यथा डकैती के अपराधों में 100 प्रतिशत, लूट के अपराधों में 139 प्रतिशत, स्नेचिंग के अपराधों में 48 प्रतिशत, नकबजनी के अपराधों में 37 प्रतिशत, वाहन चोरी के अपराधों में 17 प्रतिशत, अन्य चोरी के अपराधों में 23 प्रतिशत तथा कुल अपराधों में 17 प्रतिशत कमी आयी है।
- उक्त के अतिरिक्त महिला सम्बन्धी अपराधों के अन्तर्गत बलात्कार के अपराधों में 94 प्रतिशत, शीलभंग के अपराधों में 51 प्रतिशत, अपहरण के अपराधों में 93 प्रतिशत तथा महिला उत्पीडन के अपराधों में 11 प्रतिशत की कमी आयी है।

- **पुलिस बीट प्रणाली की शुरुआत**

कमिश्नरेट के तीनो जोन में सभी थाना क्षेत्रों में बीट क्षेत्र निर्धारित कर पुलिस बीट ऑफिसर एवं बीट एसआई की नियुक्ति की गई, जिससे स्थानीय नागरिकों से नियमित संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है तथा अपराध की रोकथाम और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हुई है। दिनांक 24.04.2025 से कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस में बीट व्यवस्था प्रणाली लागू की गई। बीट व्यवस्था प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण गाजियाबाद को 2131 बीट में विभाजित किया गया है तथा कुल 941 बीट एस०आई० एवं 1431 बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त नियुक्त किये गये हैं। सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवायें जैसे पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र सत्यापन, किरायेदारी सत्यापन आदि का कार्य सम्बन्धित बीट में नियुक्त बीट एस०आई० एवं बीट पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही है। बीट क्षेत्र में निवाचित अपराधियों पर निगरानी रखने का दायित्व भी सम्बन्धित बीट एस०आई० एवं बीट पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है। बीट प्रणाली के गठन के पश्चात गाजियाबाद की आम जनता को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवायें पारदर्शी ढंग से एवं समयावधि के अन्दर उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही अपराधियों की लगातार निगरानी के कारण आपराधिक घटनाओं में भी काफी गिरावट आयी है।

- **साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली**

विवेचना में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर जांच को अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाया गया है। इससे अभियोजन पक्ष को मजबूत आधार मिला और दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई। साथ ही साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली के अन्तर्गत विवेचक द्वारा अभियोग में धाराओं का लोप तथा वृद्वि करने एवं नामित अभियुक्तों के नाम हटाने तथा प्रकाश में लाने की कार्यवाही हेतु जोनल पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया। जिससे विवेचना को और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है।

- **शिष्टाचार संवाद नीति का निर्धारण**

अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आम जनमानस के साथ की जा रही अभद्र व्यवहार की घटनाओं के प्रकाश में आने को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 'शिष्टाचार संवाद नीति' निर्धारित की गई। जिसमें पुलिसकर्मियों के लिए आक्रामकता तथा व्यंग्य से बचते हुए, शांत और संयमित तरीके से, जनता के साथ व्यवहार करने हेतु निर्देशित किया गया। यह नीति पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने तथा पुलिसिंग को अधिक मानवीय बनाने के लिए अपनाई गई है।

- **वादी संवाद दिवस की शुरुआत**

दिनांक 03.09.25 से कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानो पर प्रत्येक बुधवार को वादी संवाद दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वादी संवाद दिवस के आयोजन के दौरान थानों पर लम्बित अभियोगों तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी का थानाध्यक्ष एवं सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष विवेचकों से सीधा संवाद स्थापित किया जाता है तथा विवेचकों द्वारा विवेचना की प्रगति से वादी को अवगत कराया जाता है। विवेचनात्मक कार्यवाही की प्रगति की जानकारी सुलभ होने के कारण इस पहल से कमिश्नरेट पुलिस के प्रति

आमजनमानस का विश्वास बढ़ रहा है। अभी तक आयोजित वादी संवाद दिवस मे कुल 3859 वादियों को उनके अभियोगो के सम्बन्ध मे प्रगति की जानकारी दी गई है।

- **त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण जनसुवाई**

जनसुनवाई को और सुदृढ एवं सुगम बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जनसुनवाई कर जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। इसके लिए जनसुनवाई के दौरान समस्त थाना प्रभारियों एवं सहायक पुलिस आयुक्त को प्रतिदिन लिंक भेजकर पीडित की समस्या के सम्बन्ध में भी जानकारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिससे कि सम्बन्धित को ससमय उचित निर्देश दिये जा सकें।

- **कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना**

पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु कमिश्नरेट के सभी थाना कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये जिनकी 24*7 निगरानी तीनों जोन के पुलिस उपायुक्त कार्यालयों में स्थापित कमांड कंट्रोल रुम द्वारा की जा रही है।

- **एफआईआर की प्रति वादी को उनके घर पर पहुँचाना**

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे एफआईआर की प्रति शिकायतकर्ता के घर पर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे नागरिकों को बार-बार थाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह नागरिक-सुविधा को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही जनता के व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने हेतु 100 सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने पर बुलाकर संवाद दिवस की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

- **ऑपरेशन कन्विक्शन**

उत्तर प्रदेश सरकार के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत, गाजियाबाद पुलिस ने गंभीर अपराधों में त्वरित ट्रायल तथा दोषसिद्धि सुनिश्चित करने पर फोकस किया है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर कन्विक्शन सेल का गठन किया गया है। कमिश्नरेट के विभिन्न थानों से सम्बन्धित गम्भीर/महिला सम्बन्धित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में प्रभावी पैरवी कराने की कार्यवाही की गयी। इसके अन्तर्गत कुल 370 मुकदमों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 59 अपराधियों को आजीवन एवं 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित कराया गया है। पुलिस द्वारा जांच को मजबूत बनाया गया है, जिससे दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई है।

- **CCMS Portal की शुरुआत**

कमिश्नरेट के गठन के उपरान्त कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के दौरान वर्ष-2025 में दिनांक 01.04.2025 के उपरान्त सी0सी0एम0एस0 पोर्टल का संचालन कराया गया, जिसमें धारा 126/135/170/152/129 बीएनएसएस के वादों का विवरण अपलोड किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम

से समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इस पोर्टल को जनसामान्य के लिए भी लान्च किया गया है। जिससे कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने वाद की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सकेगी।
-इसी प्रकार धारा 164 बीएनएसएस के वादों का सम्पूर्ण विवरण उक्त पोर्टल पर अपलोड कराया गया है। साथ ही साथ धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम, गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर अपलोड कराकर समीक्षा की जा रही है।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कमिश्नरेट अदालतों में लंबित मामलों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए है। नागरिक वेब पोर्टल के माध्यम से अपने केस की रीयल-टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सुनवाई की तिथि, स्टेटस आदि। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए विकसित की गई है। सीएमएस नागरिक-केंद्रित वेब एप्लिकेशन है, जो मामलों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

- **CEMS Portal की शुरुआत**

  पुलिस कर्मियों के अवकाश स्वीकृति एवं आवास आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कमिश्नरेट में सी0ई0एम0एस0 पोर्टल शुरु किया गया है।

- **Inventory Management System (IMS)-** संसाधनों के वितरण और स्टॉक की केंद्रीकृत रिकॉर्डकीपिंग के लिए तथा बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद मे Inventory Management System (IMS) शुरु किया गया है।

- **आपराधिक घटनाओं को रोकने तथा अपराधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सम्पूर्ण गाजियाबाद में सी०सी०टी०वी० कैमरों का बढ़ता नेटवर्क**

  आपराधिक घटनाओं को रोकने तथा घटनाओं के सफल अनावरण के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण गाजियाबाद को सी०सी०टी०वी० कैमरे की नजरों से कैद करने हेतु दिनांक 16/08/25 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान गाजियाबाद में कुल 900 नये उच्च क्वालिटी के सी०सी०टी०वी० कैमरे विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिष्ठापित किये गये हैं। थाना क्षेत्र में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरों का फीड सम्बन्धित थाना कार्यालय में लेकर लगातार निगरानी की जा रही है जिससे आपराधिक घटनाओं खासकर लूट, स्नैचिंग एवं चोरी की घटनाओं में आशानुरूप परिलक्षित हो रही है।

- **महिला सम्बन्धी अपराधों एवं घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न आदि की घटनाओं पर अंकुश**

  शासन के मंशानुरूप महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से कमिश्नरेट में कुल 20 पिंक बूथ कार्यरत हैं जहां महिला पुलिसकर्मी नियुक्त हैं जो पीडित महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त पति-पत्नी के विवाद को उनके वैवाहिक भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनके मध्य काउंसलिंग कराने हेतु परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित है। परिवार परामर्श केन्द्र में योग्य एवं अनुभवि काउंसलरों द्वारा काउंसलिंग की जा रही है जिससे काफी परिवार को टूटने से बचाया जा रहा है। महिला सम्बन्धी अपराध के पर्यवेक्षण हेतु कमिश्नरेट में एक विशेष सहायक पुलिस आयुक्त, महिला अपराध नियुक्त हैं।

- **साइबर अपराध से मुकाबला**

  वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध के दृष्टिगत इससे मुकाबला हेतु एक विशेष कार्ययोजन तैयार की गयी है। कार्ययोजना के अन्तर्गत साइबर अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना हेतु साइबर थाने में एक विशेष टीम CCIT गठित की गयी है जिसमें 20 निरीक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं। साइबर थाने के अतिरिक्त प्रत्येक थाने में साइबर सेल गठित है जो पीडितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए 24 घण्टे थाने पर उपलब्ध रहते हैं। साइबर अपराध तथा एन०सी०आर०पी० पोर्टल व 1930 पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक थानों में पंजीकृत साइबर अपराध की घटनाओं तथा एन०सी०आर०पी० पोर्टल व 1930 पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा प्रत्येक सप्ताह की जा रही है।

- **यू०पी०-112 का रिस्पॉस टाइम मे गाजियाबाद पुलिस उत्तर प्रदेश में नम्बर 01-**

  इसी प्रकार डायल 112 के रेस्पान्स टाइम में 112 मुख्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में भी गाजियाबाद पुलिस पिछले 11 माह से सम्पूर्ण प्रदेश में न्यूनतम रेस्पान्स टाइम के साथ प्रथम स्थान पर बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद पुलिस जब रेस्पान्स टाइम की दृष्टि से मई 2023 में पहली बार प्रथम स्थान पर आयी थी तो इसका रेस्पान्स टाइम 7....3 मिनट था तथा इसके बाद से ही गाजियाबाद पुलिस ने लगातार सुधार की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आने वाले हर माह में अपने रेस्पान्स टाइम को कम करते हुए नवम्बर 2025 में रेस्पान्स टाइम को 04.04 के न्यूनतम टाइम पर लाने में सफलता प्राप्त की है। 01 जनवरी 2025 से 25 नवम्बर की अवधि में डायल 112 पर आपातकालीन सहायता हेतु कुल 295285 ईवेन्ट्स प्राप्त हुई हैं। जैसा कि डायल 112 पर प्राप्त ईवन्ट्स के सम्बन्ध में 112 मुख्यालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से फीडबैक भी लिया जाता है, मुख्यालय द्वारा लिये जाने वाले इस फीडबैक में भी गाजियाबाद से 112 डायल करने वाले 88 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अपनी संतुष्टि प्रकट की गयी है। यह एक सराहनीय कदम है ।

- **सीनियर सिटीजन सेल का गठन**

  ऑपरेशन सवेरा के अन्तर्गत बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा एवं सहयोग हेतु सीनियर सिटीजन सेल का गठन किया गया है। यह सेल वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- **सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु अभियानः-**

  अतिक्रमण को रोकने तथा सार्वजनिक स्थानों को सुचारू रखने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने व्यापक अभियान चलाए हैं। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में अतिक्रमणकर्ताओं को 152 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत नोटिस दी जा रही है। सम्पूर्ण कमिश्नरेट में अब तक 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को 152 बी०एन०एस०एस० की नोटिस दिये जा रहे है जिसका प्रभावी असर दिख रहा है तथा सड़के अतिक्रमणमुक्त हो रही है जिसके कारण सड़क जाम की समस्या में कमी आई है।

- ### यातायात का बेहतर प्रबन्धन

कमिश्नरेट के गठन के उपरान्त यातायात व्यवस्था के बेहतर प्रबन्धन हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस उपायुक्त का पद सृजित होकर नियुक्ति की गयी है। यातायात व्यवस्था को सुदृढ एवं सुगम बनाये जाने हेतु समस्त कमिश्नरेट क्षेत्र को 03 जोन में विभाजित किया गया, प्रत्येक जोन पर 01 सहायक पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गयी है। प्रत्येक जोन में 03 उप-जोन बनाये गये हैं, जिन पर 01-01 यातायात निरीक्षक की नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए पूर्व से नियुक्त पुलिस कर्मियों में बढोत्तरी की गयी है। वर्तमान में यातायात व्यवस्था हेतु 01 पुलिस उपायुक्त, 03 सहायक पुलिस आयुक्त, 13 निरीक्षक, 136 उपनिरीक्षक, 319 पुरूष व 08 महिला मुख्य आरक्षी तथा 418 पुरूष व 13 महिला आरक्षी की नियुक्ति की गयी है, जो कि कमिश्नरेट बनने से पूर्व के सापेक्ष काफी अधिक है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है।

-यातायात को और सुगम बनाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 150 स्थानों के सापेक्ष 221 स्थानों पर डियूटी लगाई जा रही है। 24 ट्रेमो मोबाइल का संचालन किया गया है, 05 इंटरसेप्टर संचालित हैं। यातायात निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में एक ट्रैफिक पुलिस बूथ का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था में और अधिक सुधार आयेगा। इसके अतिरिक्त मुख्य-मुख्य मार्गों पर 300 एनपीआर/बुलट कैमरों के स्थापित किये जाने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा।

-यातायात प्रबन्धन माह के दौरान दो पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेल्मेट वितरण, बार कोड चस्पा करने की कार्यवाही की गयी है।

- ### थानों एंव भवनों का जीर्णोद्धार

कमिश्नरेट गठन के उपरान्त थानों के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत थाना साहिबाबाद का पूर्ण जीर्णोद्धार कराते हुए एक नई दिशा दी गयी है। इसी प्रकार अन्य थानों पर भी जीर्णोद्धार का कार्य प्रचलित है। प्रत्येक थाने पर आगन्तुकों के बैठने के उचित स्थान को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक थाने में आगन्तुक कक्ष का नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है। क्राईम ब्रांच, साइबर थाना तथा पुलिस ऑफिस मे नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है।

अभयस्त अपराधियों पर कार्यवाही

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 129जी के तहत, अपराधियों की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं। यह धारा संगठित अपराध, सामाजिक अशांति तथा अन्य गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान करती है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस धारा के तहत अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की गई है। अभयस्त अपराधियों की निगरानी की जा रही है। अपराध पर नकेल कसने हेतु अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है

- दिनांक 29.07.2025 से अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी, जिसके अन्तर्गत विगत 10 वर्षों के सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त रहे कुल 9665 अपराधियों का गहन सत्यापन कराया गया तथा इन अपराधियों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है। जिसके अन्तर्गत धारा 129जी बीएनएसएस के अन्तर्गत 5235 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

- गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुख्यात एवं पेशेवर अपराधियों की 3,33,73,14,336 रूपये मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गयी है।

- पुलिस मुठभेड के अन्तर्गत 347 अभियोगों में 562 अपराधी गिरफ्तार हुए, 399 अपराधी घायल हुए हैं तथा 07 अपराधी पुलिस कार्यवाही में मारे गये हैं।

- साइबर अपराधों के अभियोगों की विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु साइबर थाना के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर अपराध शाखा में सी0सी0आई0टी0 टीम का गठन किया गया है, जिसमें 12 निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।
- पुराने एवं गम्भीर प्रवृत्ति एवं धोखाधडी जैसे अपराधों की विवेचनाओं का गुणवत्ता के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु अपराध शाखा में सी0बी0आई0टी टीम का गठन किया गया है।
- अपराध शाखा को और सुदृढ बनाये जाने के लिए अपेक्षा के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं एवं अपराध शाखा के सम्पूर्ण भवन का जीर्णोद्धार एवं आवश्यकतानुसार नवनिर्माण कराया गया है।
- मिशन शक्ति फेज-05 को सफल बनाने के लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 25 मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में अभियान चलाकर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

ये सभी व्यवस्थाएं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-उन्मुख बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। पुलिस कमिश्नर महोदय का प्रयास है कि शहर में अपराध दर कम हो, न्याय शीघ्र उपलब्ध हो और पुलिस-जनता के बीच मजबूत संबंध स्थापित हो।